



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225592
CG-DL-E-02032021-225592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904]
No. 904]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2021

का.आ. 978(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/इसके तहत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में ज़ोन-डी की ज़ोनल विकास योजना में कुछ संशोधन करना चाहती है, उनको दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के परंतुकों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.03.2017 के सार्वजनिक नोटिस संख्या: एस.ओ.755 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) के तहत यथाअपेक्षित, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच और सुनवाई मंडल द्वारा विचार किया गया है तथा इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया है।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/ ज़ोन-जे की ज़ोनल विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/ ज़ोन-जे की ज़ोनल विकास योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

स्थान	क्षेत्र (है.)	एमपीडी-2021/जोन-डी के ज़ैडडीपी के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग में परिवर्तन	सीमा
1	2	3	4	5
कमला मार्केट	1.77	'मनोरंजन' (जिला पार्क)	'वाणिज्यिक' (सी -1)	उत्तर: आसफ अली रोड दक्षिण: जे एल नेहरू मार्ग पूर्व: आसफ अली रोड और जे एल नेहरू मार्ग को जोड़ती सर्विस रोड पश्चिम: अजमेरी गेट से मिनटो ब्रिज तक की रोड (भवभूति मार्ग)

[फा. सं. के-13011/13/2017-डीडी-1]

विरेंद्र कुमार कुशवाहा, अवर सचिव,

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2021

S.O. 978(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 /Zonal Development Plan of Zone 'D' as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 755 (E) dated 07.03.2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021 and Zonal Development Plan of Zone-D.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 and Zonal Development Plan of Zone-D with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

Location	Area (Ha.)	Land Use as per MPD-2021 / ZDP of Zone-D	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Kamla Market	1.77	'Recreational' (District Park)	'Commercial' (C-1)	North: Asaf Ali Road South: J.L.Nehru Marg East: Service road connecting Asaf Ali Road and JLN Marg West: Road from Ajmeri Gate to Minto Bridge (Bhavbhooti Marg)

[F. No. K-13011/13/2017-DD-1]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.